भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2875
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

बागपत में सहकारी समितियां

2875. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित नई सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त जिले में नए सहकारी उद्यमों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा बागपत में सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा बागपत में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इन सहकारी समितियों की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 20.01.2026 की स्थिति तक, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कुल 267 सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से 51 सहकारी समितियाँ जनवरी, 2021 से पंजीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 25.02.2026 की स्थिति के अनुसार, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए संचयी रूप से 5,16,122.32 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं । जिसमें से **उत्तर प्रदेश राज्य** में सहकारी विकास के लिए **7,749.08 करोड़ रुपये** की राशि संवितरित की गई है। राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए संवितरण का ब्योरा **संलग्नक-1** पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में सहकारी समितियों की भूमिका को सशक्त करने के साथ-साथ **उत्तर प्रदेश के बागपत जिले** सहित देश भर में उनकी कार्यात्मक प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई पहलें की हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- पैक्स को सशक्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की गई है, इसके अंतर्गत देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ लिंक करना शामिल है।

- आदर्श उपविधियाँ जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को करने, अपने संचालन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं । अब, पैक्स पीएम-किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके), कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- सहकारी कवरेज, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के विस्तार के लिए, मंत्रालय ने सहकारी-नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" शुभारंभ की है, जिसका उद्देश्य "अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध प्रापण को वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, जिससे अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान की जा सके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।"

- रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और अवसंरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63 (क) के तहत सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना करना ।

- देश भर में 20 प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों, निदेशक मंडल, कर्मचारियों, राज्य के अधिकारियों और इच्छुक युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम। आज की तिथि तक, इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 10,11,359 प्रतिभागियों के लिए 16,404 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

- नाबार्ड के माध्यम से संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर अर्थात् ई-पैक्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ।

- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना ।

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, जो सहकारी समितियों के भौगोलिक विस्तार में कमियों को चिह्नित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें आच्छादित और अनाच्छादित दोनों ग्राम पंचायतें शामिल हैं, तथा 2 लाख नए बहुद्देशीय पैक्स , डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना।

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लाभ उठाते हुए, सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार मूल्यांकन करने तथा उन्हें रैंकिंग प्रदान करने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया । इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा।

******

संलग्नक-1

विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कार्यकलाप वार संवितरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	योजना/कार्यकलाप	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 दिनांक 25.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार
1	विपणन	200.00	300.00	1.50	202.00	103.15
2	औद्योगिक एवं सेवा सहकारी समिति			0.27		-
3	एफ एंड वी			0.05	0.34	0.76
4	तिलहन			0.09	0.55	0.15
5	खाद्यान्न					0.40
6	भंडारण		0.05	1.45	0.15	
7	आईसीडीपी	50.08	46.70	3.47		
8	मात्स्यिकी	0.03	0.09	0.04	0.39	
9	मात्स्यिकी (एफएफपीओ)		0.04	0.28	0.19	0.30
10	किसान उत्पादक संगठन	0.84	2.89	5.35	5.50	5.16
11	एम.आई.एस	1.38	0.36	0.42		
12	युवा सहकार		0.10	0.10		
	कुल	**252.33**	**350.23**	**13.02**	**209.12**	**109.92**

*****